

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1973/फाल्गुन 23, 1894

No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1973/PHALGUNA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छल्लग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th March 1973

SUBJECT:—Sale of goods imported by foreign participants in the Third International Trade Fair, 1972. New Delhi.

No. 35-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 5-ITC(PN)/73, dated the 15th January, 1973, on the above subject, according to which actual users willing to purchase goods from foreign participants were to apply for the same to the licensing authorities/sponsoring authorities on or before 31st January, 1973.

2. On a review of the position, it has been decided to extend the last date from 31st January, 1973 to 31st May, 1973. The late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 5-ITC(PN)/73, dated the 15th January, 1973 may be deemed to have been amended accordingly.

S. G. BOSE MULICK,

Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1973

विषय:—तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1972, में नई दिल्ली में विदेशी भागीदारों द्वारा आयातित माल की बिक्री ।

संख्या : 35-आई०टी०सी० (पीएन)/73.—उपर्युक्त विषय पर भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 5-आईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 15 जनवरी, 1973 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जो विदेशी भागीदारों से माल खरीदने के इच्छुक थे उन्हें इसके लिए लाइसेंस प्राधिकारियों/प्रायोजक प्राधिकारियों को 31 जनवरी, 1973 को या इससे पूर्व आवेदन करना था ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 1973 को बढ़ाकर 31 मई, 1973 कर दिया जाए । भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 5-आईटीसी (पीएन)/73 दिनांक 15 जनवरी 1973 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।